संख्या-170/18-2-2020

प्रेषक

राजेन्द्र कुमार तिवारी
मुख्य सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

समस्त जिलाधिकारी
उत्तर प्रदेश।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-2 लखनऊः 06 अप्रैल, 2020

विषय-कोविड-19 (कोरोना वायरस) के कारण घोषित लॉकडाउन की अवधि में आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति हेतु ई-पास ऑनलाइन जारी किये जाने के संबंध में स्पष्टीकरण।

महोदय

उपर्युक्त विषयक राजस्व विभाग के शासनादेश संख्या-210/एक-11-2020, दिनांक 02 अप्रैल, 2020 के क्रम में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग के शासनादेश संख्या-168/18-2-2020, दिनांक 03-4-2020, का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा COVID-19 (कोरोना वायरस) के कारण घोषित लॉकडाउन की अवधि में आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति हेतु e-Pass_आनलाइन जारी किये जाने के संबंध में स्पष्टीकरण निर्गत किये गये हैं।

2- अवगत कराना है कि उक्त शासनादेश द्वारा दिशा-निर्देश निर्गत करते हुये शासनादेश के प्रस्तर-4 में निम्नलिखित श्रेणी/प्रकार की इकाईयों को ई-पास व कार्मिकों की सीमित संख्या की व्यवस्था से मुक्त रखते हुये इन इकाईयों को सोशल डिस्टेंशिंग व स्वास्थ्य संबंधी निर्देशों के साथ चालू करने में यथासंभव सहायता प्रदान किये जाने के निर्देश दिये गये हैं-

(1) आवश्यक वस्तुओं से संबंधित उद्योग, जिसमें खाद्य पदार्थ ब्रेड, बिस्किट, आटा, दाल, खाद्य तेल, चावल, चीनी, पीने का पानी, दूध व दूध से संबंधित उत्पाद तथा उन उत्पादों के लिए प्रयोग की जाने वाली पैकिंग सामग्री की इकाईयां।

(2) मेडिकल उपकरण जिसमें मास्क, सेनेटाइजर, वेंटीलेटर, पीपीई किट, दवा, जिनमें आयुष भी सम्मिलित है तथा दवाओं में काम आने वाली सामग्रियों इण्टरमिडयरी तथा इनकी पैकिंग से संबंधित सामग्री की इकाईयां। यह सुनिश्चित किया जायेगा कि मास्क, सेनेटाइजर, पीपीई किट एवं वेंटीलेटर की इकाईयों को शत-प्रतिशत क्षमता के अनुसार अनुमति-पत्र दिये जाएंगे। यहां यह भी प्रयास किया जाय कि यदि संभव हो तो इन उद्योगों की क्षमता में वृद्धि भी कराई जाए।

(3) राज्य सरकार की अनुमति प्राप्त ऐसी इकाइयां, जिनमें अनवरत उत्पादन की प्रक्रिया हो।

(4) कोयला व खनिज पदार्थ का उत्पादन, परिवहन एवं खनन प्रक्रियाओं से संबंधित गतिविधियां।

(5) खाद, कीटनाशक, बीज उत्पादन तथा इनकी पैकिंग में प्रयुक्त होने वाली इकाइयां।

उक्त के क्रम में अवगत कराना है कि शासन के संज्ञान में आया है कि निम्न श्रेणी की इकाईयां अभी तक चालू नहीं हो पायी हैं, जिनके कारण मानवों, व पशु-पछियों की आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि निम्नलिखित श्रेणी की इकाईयां, जो आवश्यक वस्तुओं की श्रेणी में आती हैं, उन्हें व उनकी सहयोगी की श्रेणी में आने वाली इकाईयों को भी चालू किया जाय-

(1) पशु/पक्षी/मत्स्य आहार एवं संबंधित उत्पादों की इकाईयां।

(2) कृषि संयत्र एवं उनसे संबंधित उत्पाद बनाने वाली इकाईयां।

(3) सभी प्रकार के खाद्य पदार्थ उत्पाद करने वाली इकाईयां यथा दाल, आटा, चावल, तेल, घी, मसाला आदि।

(4) डिटरजेंट एवं साबुन उत्पाद की इकाईयां।

(5) साल्वेंट एक्सट्रैक्शन प्लाण्ट।

(6) खाद्य प्रसंस्करण बनाने वाली इकाईयां व फल/सब्जी की पैकेजिंग इकाईयां।

(7) उपरोक्त उत्पादों की प्रिण्टिंग व पैकेजिंग करने वाली इकाईयां।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

4- उपरोक्त के अतिरिक्त प्रस्तर-2(3) में उल्लिखित विषय के संबंध में जिलाधिकारी द्वारा शासन को संस्तुति उपलब्ध करायी जाय ताकि शासन स्तर पर निर्णय लेकर अनवरत उत्पाद करने वाली ऐसी इकाईयां, जिनके संचालन की आवश्यकता है, के संबंध में शासन स्तर पर निर्णय लेकर अनुमति जारी की जा सके।

5- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संदर्भगत शासनादेश दिनांक 03-4-2020 में वर्णित दिशा-निर्देशों के अन्तर्गत संबंधित इकाईयों को सुविधायें प्रदान करने का कष्ट करें।

भवदीय

राजेन्द्र कुमार तिवारी
मुख्य सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

(1) आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन उ0प्र0, कानपुर।
(2) पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
(3) समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
(4) समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।
(5) निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क उ0प्र0।
(6) समस्त परिक्षेत्रीय अधिकारी, उद्योग/उपायुक्त उद्योग, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से

नवनीत सहगल
प्रमुख सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।